

Format for Reference on delayed payment to the Himachal Pradesh Micro and Small Enterprises Facilitation Council.

To
The Chairperson
Himachal Pradesh Micro and
Small Enterprises Facilitation Council,

Reference : U/s 18 of the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006.

I am authorized representative of M/s _____ . This firm is micro/small unit as per provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This unit has supplied the goods to M/s _____, but it has not been paid as per provisions of Section 15 of the Act *ibid*. I, therefore, being aggrieved with this unit, wish to file a reference. This information pertaining to the case is as under:

1. Udyog Aadhar No. (Note: –MSME unit can register Udyog Aadhar on Udyogaadhar.gov.in (<http://udyodaadhar.gov.in>)) :
2. Date of Filing Application (DD/MM/YYYY) :
3. **Details of aggrieved MSE Unit**
 - 3.1. Name of Authorized representative:
 - 3.2. Name of the Unit:
 - 3.3. Address (including Pin code):
 - 3.4. District:
 - 3.5. State:
 - 3.6. Mobile Number:
 - 3.7. Email:
 - 3.8. Type of aggrieved MSE
Micro Small
4. **Name of Respondent (Buyer)**
 - 4.1 Address (including Pin Code) :
 - 4.2 District:

- 4.3 State:
- 4.4 Mobile Number:
- 4.5 Email:
- 4.6 Category of Respondent (Buyer) [CPSU/State PSU/.....]
5. Principal Amount Payable (Rs. _____)
6. Interest claimed as on :
7. Fee paid, if any:
 - 7.1. Amount :
 - 7.2 Methodology :
8. Documents enclosed in support of claim in respect of supply of goods supply or services rendered as referred above:
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
 - (iv)
 - (v)

I, hereby, declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information that may be further required, shall be provided immediately before the concerned authority. I further declare that I have not filed/preferred any appeal before any court on the same dispute.

Signature.....

Name :

(Authorized Signatory on behalf of aggrieved MSE)

Date:

By Order

Principal Secretary (Inds.) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद् को देरी से भुगतान के संदर्भ हेतु प्रपत्र

सेवा में

अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद्,
.....

संदर्भ: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के अधीन।

मैं, मैसर्स

का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। यह फर्म सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार सूक्ष्म/लघु इकाई है। इस इकाई ने मैसर्स को माल का प्रदाय किया है, किन्तु इसने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार संदाय नहीं किया गया है। मैं, इसलिए, इस इकाई से असंतुष्ट होने पर एक संदर्भ फाइल करने का इच्छुक हूँ। इस मामले से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार से है:

1. उद्योग आधार न0 (टिप्पण:- एम एस एम ई इकाई उद्योग आधार को udyogaadhar.gov.in (<http://udyogaadhar.gov.in>) पर रजिस्टर किया जा सकता है।)

2. आवेदन फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

3. असंतुष्ट एम एस ई इकाई के ब्यौरे :

3.1 प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम :

3.2 इकाई का नाम :

3.3 पता (पिन कोड सहित) :

3.4 जिला :

3.5 राज्य :

3.6 मोबाइल न0 :

3.7 ई-मेल :

3.8 असंतुष्ट एम एस ई की किस्म :

सूक्ष्म

लघु

4. प्रतिवादी का नाम (क्रेता) :
 - 4.1 पता (पिन कोड सहित) :
 - 4.2 जिला :
 - 4.3 राज्य :
 - 4.4 मोबाईल न0 :
 - 4.5 ई-मेल :
 - 4.6 प्रतिवादी (क्रेता) की श्रेणी (सी पी एस यू/राज्य पी एस यू/.....) :
5. मूल देय रकम (रूपए))
6. तारीख को दावाकृत ब्याज
7. संदत्त फीस, यदि कोई हो :
 - 7.1 रकम
 - 7.2 कार्य विधि
8. उपरोक्त यथा निर्दिष्ट प्रदाय माल या दी गई सेवा के संबंध में दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेज
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
 - (iv)

मैं, एतद् द्वारा, घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। कोई सूचना, जो और अपेक्षित होगी, तत्काल सम्बद्ध प्राधिकारी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इसी विवाद के बारे में किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की है।

हस्ताक्षर

नाम

तारीख :

असंतुष्ट एम एस ई की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।